जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम **दिनांक – 04.02.2024**

थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मु0अ0सं0 03/24 धारा 420/386 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा धोखाधडी कर निकाले गये रूपयों में से पीडित के बैंक खाते में ₹ 99,500 /- वापस कराये गये ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.02.2024 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र रामलाल सिंह निवासी ग्राम मलकपुर अब्दुल्ला थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना साइबर क्राइम, बिजनौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रितिक पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी व उसके कतर में रह रहे बहनोई से अज्ञात कोरियर प्रोडक्ट की डिलीवरी गैर कानूनी बताकर तथा मृत्यु भय दिखाकर 2,50,000 /- रूपयों की मांग की गयी एवं अन्य व्यक्तियों के फर्जी खातें में कुल ₹ 1,51,200 /- जमा करा लिये । तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम, बिजनौर पर मु0अ0सं0 03/2024 धारा 420/386 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट बनाम रितिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त अमित पुत्र मगन निवासी अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में साइबर सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 03/2024 धारा 420/386 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट मे नामित अभियुक्त 1.रितिक पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये अभियुक्त अमित पुत्र मगन निवासी अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । घटना में अन्य अभियुक्तगणो की संलिप्तता के संबंध में गहनता से विवेचना की जा रही है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.रितिक पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.अमित पुत्र मगन निवासी अलावलपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

पीडित के बैंक खाते में ₹ 99,500 /- वापस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर
2. निरीक्षक श्री भानू सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर
3. निरीक्षक श्री नरेशपाल सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर
4. मुख्य आरक्षी 369 विवेक तोमर साइबर सैल जनपद बिजनौर
5. मुख्य आरक्षी 457 बेताब जावला साइबर सैल जनपद बिजनौर
6. मुख्य आरक्षी 372 जितेन्द्र सिंह साइबर सैल जनपद बिजनौर
7. मुख्य आरक्षी 777 अश्वनी राणा साइबर सैल जनपद बिजनौर
8. आरक्षी 15 जैनुल मलिक साइबर सैल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर   दिनांक 04.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 76/24 धारा 376/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.01.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के रहने वाले वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सायबान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 76/24 धारा 376/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 76/24 धारा 376/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त सायबान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सायबान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री संदीप पंवार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2-मुख्य आरक्षी 11 राजेश प्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 04.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	अरूण पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम धन्नूवाला थाना को0 शहर बिजनौर।
2	कोतवाली शहर	रणजीत सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम गजरौला शिव थाना को0 शहर बिजनौर।
3	कोतवाली शहर	लोकेन्द्र पुत्र सत्यपाल निवासी मंगोलपुरा थाना को0 शहर बिजनौर।
4	कोतवाली शहर	वीर सिंह पुत्र होरी सिंह निवासी ग्राम इटावा थाना को0 शहर बिजनौर।
5	कोतवाली शहर	अरूण कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम इटावा थाना को0 शहर बिजनौर।
6	कोतवाली शहर	रामपाल पुत्र सोहन सिंह निवासी मौ0 दारानगर गंज थाना को0 शहर बिजनौर।
7	अफजलगढ	जाकिर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम सलावतपुर थाना अफजलगढ बिजनौर।
8	मण्डावर	मौ0 शाहिद पुत्र अ0 हकीम निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना मण्डावर बिजनौर।

थाना कोतवाली शहर

थाना अफजलगढ

थाना मंडावर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा **दिनांक 04-02-2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/2023 धारा 307/323/504/506/452/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.12.2023 को वादी ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शब्बन पुत्र शहाबुद्दीन 2.दिलबहार पुत्र नब्बू 3.भूरा उर्फ अब्बास पुत्र नब्बू 4.फैजान पुत्र नब्बू निवासीगण ग्राम उमरी पीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा वादी व उसके परिजनों के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डण्डों से मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 216/2023 धारा 307/323/504/506/452/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 216/2023 धारा 307/323/504/506/452/34 भादवि में वांछित अभियुक्त दिलबहार पुत्र नब्बू निवासी ग्राम पीर उमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में भूरा उर्फ अब्बास पुत्र नब्बू निवासी ग्राम उमरी पीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिलबहार पुत्र नब्बू निवासी ग्राम पीर उमरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 2344 कुश थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 देहात **दिनाँक 04.02.2024**

थाना को0 देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 298/23 धारा 307/323/341/427/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.11.2023 को वादी श्री शीशपाल सिंह पुत्र करण सिंह निवासी हीमपुर मानक थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि उसी के गांव निवासी मोहित जोकि वादी के खेत की देखरेख करता है, के साथ अभियुक्तगण सादिक, खलील, खालिद व शौकत द्वारा एक राय होकर गाली-गलौच व मारपीट की गई तथा अभियुक्त सादिक द्वारा जान से मारने की नियत से रस्सी से गला घोट दिया व जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 298/23 धारा 307/323/341/ 427/504/506/34 भादवि बनाम खालिद आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सादिक पुत्र मौ0 युनुस निवासी ग्राम दौलताबाद उर्फ हुसैनाबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में नामित अभियुक्त शौकत अली को पूर्व में ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

सादिक पुत्र मौ0 युनुस निवासी ग्राम दौलताबाद उर्फ हुसैनाबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
2. का0 1835 मोन्टी शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. का0 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 04.02.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 60/24 धारा 2(b)(i) / 3(1) गैंगस्टर अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.02.2024 को थानाध्यक्ष, चांदपुर द्वारा अभियुक्तगण रूपक उर्फ रूपेश (गैंगलीडर) पुत्र राजपाल, 2.इमरान पुत्र अशफाक प्रधान निवासीगण ग्राम रवाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 3.शरद पुत्र रामवीर, 4.जौली उर्फ जोगेन्द्र पुत्र भगवंत सिंह निवासीगण ग्राम ढेला नंगला थाना डिडोली जनपद अमरोहा, 5.मुदित पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम खरखोदा थाना रहरा जनपद अमरोहा, 6.हर्षित पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम चक थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा, 7.गौरव उर्फ राधु पुत्र उमेश सिंह निवासी ग्राम स्याली थाना डिडोली जनपद अमरोहा व 8.अभिषेक पुत्र प्रवीण सिंह निवासी ग्राम मिलक थाना डिडोली जनपद अमरोहा द्वारा अन्तर्जनपदीय संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आम जनमानस के साथ धोखाधडी करने व समाज में डर तथा भय का माहौल उत्पन्न करने जैसे समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहने के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 60/2024 धारा 2(b)(i) / 3(1) गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एंव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रुपक उर्फ रुपेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रवाना थाना चाँदपुर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रुपक उर्फ रुपेश पुत्र राजपाल निवासी ग्राम रवाना थाना चाँदपुर बिजनौर

अभियुक्त रूपक उर्फ रूपेश का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0579/2023 धारा 323/325/506/388/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 602/2023 धारा 420/386/506 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना चादंपुर बिजनौर
3. मु0अ0सं0 603/2023 धारा 420/386/506/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर।
4. मु0अं0सं0 55/2024 धारा 506 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 60/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 1182 राजन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 2567 संजीव थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनांक – 04.02.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/452/504/506 भादवि में वांछित अभियक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.01.2024 को वादी श्री यशवीर पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रोहित, 2.अनिल पुत्रगण रामकुमार निवासी ग्राम मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर, 3.सुमित पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम बिसाट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व 4.रिन्कु पुत्र नरपाल निवासी ग्राम ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डन्डो आदि से वादी के परिजनो के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 03.02.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रोहित पुत्र रामकुमार निवासी मसनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिंकू पुत्र नरपाल निवासी ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिंकू पुत्र नरपाल निवासी ज्वालाचण्डी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री हंसराज सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 674 अकरम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर **दिनांक 04.02.2024**

थाना बढापुर पुलिस की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.02.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अजीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को आवश्यक विधिक कार्यवाही के पश्चात मुख्य आरक्षी 236 मोहम्मद ईशाक व पीआरडी 9027 प्रीतम के साथ रवाना किया गया। माननीय न्यायालय (जू0डि0) नगीना बिजनौर में 14 दिवस का रिमांड स्वीकृत होने के पश्चात उपरोक्त पुलिसकर्मी अभियुक्त को लेकर जनपद कारागार के लिये रवाना हुये। अभियुक्त मौका पाकर बस स्टैण्ड बिजनौर के पास से फरार हो गया।

इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 223/224 भादवि बनाम अजीम उर्फ बहरा उपरोक्त व अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ले जा रहे मुख्य आरक्षी मोहम्मद ईशाक व पीआरडी प्रीतम सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगीना के निर्देशन में टीमें गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.02.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक निवासी मौहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजीम उर्फ बहरा पुत्र शफीक नि0 मोहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा (हिस्ट्रीशीट नम्बर – 68ए) उपरोक्तः-

1-मु0अ0सं0 354/14 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2-मु0अ0सं0 09/20 धारा 379 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3-मु0अ0सं0 126/20 धारा 380/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4-मु0अ0सं0 160/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5-मु0अ0सं0 142/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
6-मु0अ0सं0 39/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
7-मु0अ0सं0 77/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
8-मु0अ0सं0 22/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
9-मु0अ0सं0 103/24 धारा 223/224 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री कोमल सिंह, थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3- मुख्य आरक्षी अरुण कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4-आरक्षी श्याम कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5-आरक्षी अंकित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।